न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : श्री अतुल प्रकाश आई.ए.एस.
राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 41/2019 GCMS NO 2019/00329

दायरा तिथि : 27.11.2019

आदेश तिथि : 7-9-2021

प्रार्थीगण :–

1. मदनलाल पुत्र हिम्मतरामजी
2. चम्पालाल पुत्र हिम्मतरामजी
3. विमलादेवी पत्नि बाबुलालजी
4. नारायणलाल पुत्र लच्छाजी
5. गोविन्द पुत्र मोहनलालजी जातिगण जांगीड ब्राहमण
   निवासीगण बीजापुर तहसील बाली जिला पाली (राज0)

ब ना म

अप्रार्थीगण :–

1. बाबूखॉ पुत्र अल्ला बख्श
2. रजीया बानू पत्नि सकूर खॉ
3. समीर खां पुत्र सकूर खॉ
4. अमीर खां पुत्र सकूर खां
5. हीना पुत्री सकुर खां
6. खुशबु पुत्री सकुर खांजी समस्त जाति मुसलमान
   नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता रजीयाबानू निवासीगण बीजापुर तहसील बाली

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश दिनांक : 7-9-2021

प्रार्थीगण ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर स्वयं की धारित खातेदारी भूमि मौजा बीजापुर तहसील बाली के खसरा नंबर 1113, 1114, 1115 रकबा 1.28 हैक्टर किस्म नहरी दोयम मे आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से अप्रार्थीगण खातेदारी भूमि **ग्राम बीजापुर** के खसरा नंबर 1116 रकबा 0.99 हैक्टर किस्म नहरी दोयम मे से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शे में **हरे** रंग से दर्शित मार्ग से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, बीजापुर ने जरिये पत्रांक : राजस्व/2021/517 दिनांक 21.03.2021 से रेकर्ड व मौका स्थिति की जांच कर रिपोर्ट पेश की। तहसीलदार, बाली की जांच रिपोर्ट अनुसार :–

1.ग्राम बीजापुर तहसील बाली के खसरा नंबर 1113, 1114, 1115 रकबा 1.28 हैक्टर भूमि प्रार्थीगण मदनलाल, चम्पालाल पि. हिम्मतराम जाति ब्राहमण निवासी बीजापुर तहसील बाली के नाम से खातेदारी दर्ज हैं। खातेदार की धारित खातेदारी भूमि में आवागमन के लिये प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प मौजूद नहीं है।

2. रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानूसार है :–

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर मे	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षैत्रफल	नाम खातेदार
1	1116	0.99	नहरी दोयम	4X 52 = 208 वर्गमीटर 4X 32 = 128 वर्गमीटर	बाबू खां,समीर खां पुत्र अलाबक्स अमीर खां, खुशबू पि. सकूर खां वगैरा जातिगण मुसलमान निवासीगण बीजापुर तहसील बाली
				योग– 336 वर्गमीटर	

3. प्रस्तावित भूमि ग्राम बीजापुर की डी.एल.सी.दर 256230/– रूपये प्रति हैक्टर है।

4. प्रस्तावित रास्ते की भूमि में कोई भी वृक्ष या निर्माण इत्यादि नहीं है, तथा नही अन्य कोई भी क्षति होना बताया।

पेज लगातार...02/

उपखण्ड अधिकारी
बाली जिला-पाली (राज.)

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 41/2019 GCMS NO 2019/00329
अनवान मदनलाल वगैरा बनाम बाबु खॉं वगैरा
अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रकरण में तहसीलदार, बाली द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर प्रार्थी की मांग अनुसार रास्ता दिये जाने बाबत अनुशंषा की गई। प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये जाने पर अप्रार्थीगण संख्या 01 बाबु खां की ओर से वकील श्री जगतपाल ने वकालतनामा पेश कर जवाब पेश किया गया, तथा अप्रार्थी संख्या 02 से 06 बावजुद नोटिस तामील के अनुपस्थित रहने से दिनांक 24.02.2020 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने के आदेश पारित किये गये। प्रकरण में तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् आदेश के लिये लंबित रहते अप्रार्थी संख्या 02 से 06 की ओर से अधिवक्ता श्री अय्यूबअली ने प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 07 सी.पी.सी. पेश कर अप्रार्थी संख्या 02 से 06 के विरूद्व न्यायालय द्वारा पारित एक पक्षीय आदेश को अपास्त कर जबाव प्रस्तुती के लिये समय चाहा। जिस पर न्यायालय द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 से 06 के विरूद्व पारित एक पक्षीय आदेश को अपास्त करते हुये अप्रार्थी संख्या 02 से 06 का जबाव प्राप्त किया गया। अप्रार्थी संख्या–.2 से 06 के अधिवक्ता श्री अय्युबअली ने जबाव/आपत्ति पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीनी अपने खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नंबर 1114 में कदीम से खसरा नंबर 1117 व 1133 से होकर जाते थे, परन्तु खसरा नंबर 1117 व 1133 के खातेदारो द्वारा प्रार्थीगण का कदीमी रास्ता जिसका वे कदीम से रास्ता के रूप में उपयोग व उपभोग करते आ रहे थे, उसको खसरा नंबर 1117 व 1133 के खातेदारो द्वारा बन्द कर दिये जाने से ही प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी की अविभाजित कृषि भूमि खसरा नंबर 1116 मेंसे अपने लिये सार्वजनिक नया रास्ता अपनी सुविधा के लिये खसरा नंबर 1116 के बीच मेंसे बिना किसी आधार पर कानून से परे चाहा गया है, जो प्रार्थना पत्र परिपोषणीय नहीं होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया। तथा प्रार्थीगण को नया रास्ता प्रदान करने के लिए प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की सुविधा को देखते हुये खसरा नंबर 1110, 1111 व 1115 मेंसे रास्ते की आधी भूमि व खसरा नंबर 1116 मेंसे आधी भूमि से अथवा खसरा नंबर 1117 व 1133 से आधी भूमि व खसरा नंबर 1116 से आधी भूमि का रास्ता प्रार्थीगण को दिये जाने से प्रार्थीगण अथवा अप्रार्थीगण व पडोसी खातेदारान् को कोई क्षति नहीं होने से अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तावित रास्ता प्रार्थीगण को दिया जाना न्याय संगत होना व्यक्त करते हुये प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित मार्ग से रास्ता का आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात जाहिर हैं कि प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि में आवागमन के लिये वर्तमान में कोई रेकर्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं होने से तथा प्रस्तावित रास्ता के अलावा कोई विकल्प मौजूद नहीं होने से धारा 251 (ए) के तहत रास्ता चाहा है। जिसमें अप्रार्थीगण की प्रथम आपत्ति तो यह हैं कि प्रार्थीगण खसरा नंबर 1117 व 1133 मेंसे होकर कदीम से आते जाते थे, तथा दुसरी आपत्ति यह जताई गई कि अप्रार्थीगण की खातेदारी के दो भाग होने से खसरा नंबर 1110 एवं 1111 व अप्रार्थीगण की खातेदारी खसरा नंबर 1116 मेंसे आधी–आधी भूमि रास्ता के लिये दी जावे जिससे प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण दोनो को असुविधा नहीं नही हो। पटवारी हल्का बीजापुर व भू0अ0 निरीक्षक बीजापुर द्वारा जो मौका फर्द तैयार की गई है, उस मौका फर्द के देखने मात्र से स्पष्ट होता हैं कि खसरा नंबर 1110 व 1111 का क्षेत्रफल बहुत ही कम है, जिसमें रास्ता दिये जाने पर खसरा नंबर 1110 व 1111 के खातेदार के पास भूमि बहुत ही कम रह जायेगी, इसके साथ ही प्रस्तुत मौका फर्द के अवलोकन से यह भी प्रमाणित है कि प्रार्थीगण को रास्ता दिये जाने पर खसरा नंबर 1116 के दो भाग नहीं हो रहे। यदि अप्रार्थीगण की आपत्ति अनुसार खसरा नंबर 1110 व 1111 से रास्ता दिया जाय तो इससे खसरा नंबर 1116, 1110, 1111 कुल तीन खसरो के खातेदार प्रभावित होगें। विधि अनुसार रास्ता के प्रकरणो में पक्षकारो की सुविधा का ध्यान रखना आवश्यक नहीं है, पक्षकारो की आवश्यकता पर प्राथमिकता से निर्णय किया जाना आज्ञापक है। जिससे अप्रार्थी पक्ष आपत्तिया वेबूनियाद एवं औचित्य पुर्ण नहीं होने से खारिज की जाती हैं। तथा तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, बीजापुर के पत्रांकः राजस्व/2021/517 दिनांक 21.03.2021 से रेकर्ड व मौका स्थिति की जांच के पश्चात् प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03. 2012 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे प्रार्थीगण की खातेदारी **भूमि ग्राम बीजापुर** तहसील बाली के 1113, 1114, 1115 रकबा 1.28 हैक्टर किस्म नहरी दोयम में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण 01 से 06 की **खातेदारी भूमि ग्राम बीजापुर** के खसरा नंबर 1116 रकबा 0.99 हैक्टर किस्म नहरी दोयम मे **से कुल 336 वर्गमीटर रास्ता** नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश दिये जाते है। राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :–

पेज लगातार

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी, बाली, जिला - पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 41/2019 GCMS NO 2019/00329
अनवान मदनलाल वगैरा बनाम बाबु खॉं वगैरा
अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	डी.एल. सी. दर (प्रति व. मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि डी.एल.सी. दर 256230 प्रति हैक्टर की दर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
1116	0.99	4 X 52 = 208 4 X 32 = 128	25.62	5330 X2=10660 3280 X2=6560	बाबुखां पुत्र अलाबक्स हि. 1/2 समीरखां, हीना, अमीर खां, खुशबु पिसरान् सकूर खां, रजीयाबानु पत्नि सकूर खॉं जाति मुसलान
	योग	336		**8610 X2=17220**	

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार **17220(अक्षरे सत्रह हजार दो सौ बीस)** रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर अप्रार्थीगण को अदा की जावेगी।

अप्रार्थीगण द्वारा प्रतिकर राशि नहीं लिये जाने की दशा में आवेदक द्वारा नियमानुसार तहसील कार्यालय बाली मे जमा कराई जायेगी। तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(श्री अतुल प्रकाश)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, बाली।
उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

पत्रांक : कोर्ट/2021/ 587-591 दिनांक : 7-9-2021

प्रतिलिपि पालनार्थ :-

1. तहसीलदार बाली
2. भू.अ.निरीक्षक, बीजापुर
3. पटवारी हल्का बीजापुर
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक मदनलाल पुत्र हिम्मतरामजी जाति जांगीड ब्राहमण नि. बीजापुर वगैरा को सुचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, बाली
उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली जिला पाली (राज.)

Scanned with CamScanner